कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका।

संयुक्त वन भवन, खूंटाबांध, दुमका–814101

झारखण्ड सरकार Mob: - 9431168690, 8987790402 Email –cfdumkafdjhk@jharkhandmailgov.in

पत्रांक– 637 ,दिनांक–28/04/2018

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

विषय :– NGT कोलकाता में दायर राम लखन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के विरूद्ध OA-14/2014 EZ से संबंधित दुमका वन प्रमंडल अंतर्गत अतिक्रमित 14.217 हे0 वनभूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राजभवन तथा पुलिस उप–महानिरीक्षक आवास के लिए नियमितिकरण का प्रस्ताव।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि, विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–487 दिनांक–25.04.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करें। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि, विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची द्वारा 6 (छः) बिन्दुओं पर कमियों/त्रुटियों का निराकरण प्रतिवेदन/अभिलेख मांगा गया है। परंतु इस कार्यालय द्वारा उन्हें भेजे गए अपयोजन प्रस्ताव की 6 (छः) प्रतियाँ प्रासंगिक पत्र के साथ वापस नहीं की गई है।

अतएव निदेशित करना है कि आप अपने प्रमंडल के किसी कर्मचारी को प्राधिकृत कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि, विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के कार्यालय से प्रस्ताव की सभी 6 (छः) प्रतियाँ मंगवा लें एवं इस कार्यालय को सूचित करें। साथ ही उलेखित कमियों/त्रुटियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस कार्यालय को भेजें।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी

28/4/18

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, दुमका।

28/04/18

Scanned by CamScanner

(9)

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccfedjhk@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक– 587 राँची, दिनांक 25–04–2018

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका।
वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, दुमका।

विषय :– **NGT कलकत्ता में दायर रामलखन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के विरूद्ध OA-14/2014EZ से संबंधित दुमका वन प्रमण्डल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 है0 वनभूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी आउटडोर स्टेडियम राजभवन तथा पुलिस उप–महानिरीक्षक आवास के लिए नियमितिकरण का प्रस्ताव।**

प्रसंग :– वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, दुमका का पत्रांक 559 दिनांक 11.04.2018

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 14.217 है0 वनभूमि अपयोजन हेतु नियमितिकरण का प्रस्ताव Online तथा Hard copy की पाँच प्रतियाँ प्राप्त हुआ है, प्रस्ताव की पूर्ण जाँच के क्रम में निम्नांकित कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गई है :–

1. प्रस्ताव के साथ F.R.A. 2006 के तहत् उपायुक्त दुमका द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। साथ ही ग्राम सभा की कार्रवाई की प्रति संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का GPS संलग्न है परन्तु भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार Georeferance Digital Plan in Shape फाईल में संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि पर निर्मित छात्रावास का Lay out Plan संलग्न नहीं है।
5. प्रस्तावित वनभूमि का Component-wise Break up संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव के साथ Part-II में वन प्रमण्डल पदाधिकारी दुमका द्वारा Violation की सूचना दी गई है। इस संबंध में दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की गई है, से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराया जाय।

उपरोक्त कमियों/त्रुटियों के अभाव में प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करना संभव नहीं है, अतः प्रस्ताव की सभी प्रतियों को वापस लौटाते हुए अनुरोध है कि त्रुटियों का निराकरण करते हुए पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। साथ ही भविष्य में इस तरह के अधूरे प्रस्ताव कदापि इस कार्यालय में अग्रसारित नहीं किया जाय।

Mail forwarded to Dumka DFO 27/4/18
28/04/2018

विश्वासभाजन

25.04.18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल दुमका
पत्रांक 1094
दिनांक 26.04.18

25.4.18

Scanned by CamScanner